

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री गौरव बांकावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/35/2018

1. सुजा देवी पत्नी श्री रामेश्वर, आयु 47 वर्ष, जाति मीणा निवासी ग्राम पटवार हल्का खोह नागोरियान, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास, तह. सांगानेर, जिला जयपुर।

..... वादिया

बनाम

1. छुट्टन लाल माली पुत्र श्री रघुनाथ, जाति माली, निवासी बाबा नाहरसिंह कॉलोनी, गोनेर रोड, जयपुर।
2. प्रहलाद नारायण पुत्र श्री किस्तूर चन्द, जाति महाजन उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम मलारना चौड़, जिला सवाई माधोपुर।
3. राजेश अग्रवाल पुत्र श्री प्रहलाद नारायण अग्रवाल, जाति महाजन, उम्र 36वर्ष, निवासी मलारना चौड़, जिला सवाई माधोपुर।
4. श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री प्रहलाद नारायण अग्रवाल, जाति महाजन, उम्र 32 साल, निवासी मलारना चौड़, जिला सवाई माधोपुर।

..... प्रतिवादीगण



दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञात्मक व्यादेश
अन्तर्गत धारा-53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 02.01.2024

वादिया की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि:-

1. यह कि वादिया की कृषि भूमि ग्राम खोह नागोरियान, पटवार हल्का खोह नागोरियान, भू अभिलेख निरीक्षक लूनियावास, तह सांगानेर जिला जयपुर पर स्थित है, जिसके खाता सं. नया 545 व पुराना 494, नया 546 व पुराना 594 सम्वत् 2071 से 2074 में खसरा नं. 174 रकबा 0.36 हैक्टे0 व खसरा नं0 1742 रकबा 0.78 हैक्टे0 इस प्रकार कुल खसरा 2 का कुल रकबा 1.14 हैक्टेयर है जिस पर वादिया 1/6 की खातेदार काश्तकार है।
2. यह कि वादिया अपने उक्त खातेदारी के खसरा नंबर पर काबिज काश्त है तथा मौके पर अपने मकान बनाकर निवास कर रही है। तथा अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। वर्तमान में प्रतिवादीगण जो गुण्डे बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं तथा भूमाफिया हैं जो जयपुर में आकर विभिन्न खाली भूमियों पर जिनके मालिक कमजोर व गरीब तथा किसान तबके से हो उनको चिन्हित कर उनके फर्जी पट्टे आदि बनाकर सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय



कब्जा करके उनका विक्रय करते हैं और उनसे मोटा लाभ कमाकर पुलिस व प्रशासन को कुछ भी नहीं समझते तथा वादग्रस्त खसरा नंबर 172 व 174 पर वादिया ने बाउण्ड्रीवाल लगाकर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा कर रखा है।

3. यह कि वादिया उक्त खसरा नंबर पर अपने परिवार सहित निवास कर रही है तथा निर्विवाद रूप से काबिज काश्त है। जिस पर प्रतिवादीगण दिनांक 23.10.2018 को आये तथा आकर वादिया व उसके परिवार को धमकाने लगे और कहने लगे कि उक्त भूमि के हमने पट्टे बना लिये हैं। तुम भूमि को खाली करके चले जाओ वरना हम तुम्हे जान से मार देंगे और वादिया के बच्चों का अपहरण आदि की धमकियां देने लग गये तथा जबरदस्ती वादिया की खसरा नंबर की भूमि की दीवारों पर अपने नाम लिखने लग गये तथा इस पर आपत्ति करने पर प्रतिवादीगण वादिया व उसके परिवार को मारपीट व गाली गलौच करने लग गये और धमकाने लगे कि जबरदस्ती हम तुम्हारी भूमि पर कब्जा कर उस पर अपना निर्माण कर लेंगे तथा तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस प्रकार की बातें करके वादिया की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करने लगे। इस पर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गये तथा मौके पर विरोध बढ़ता देख प्रतिवादीगण वहां से भाग गये।
4. यह कि प्रतिवादीगण जोर जबरदस्ती वादिया के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं तथा वे फर्जी दस्तावेज बनाने में माहिर है जिनकी आड़ में प्रतिवादीगण वादिया की भूमि पर कब्जा कर उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जबकि वादिया ने भूमि का विक्रय ना तो प्रतिवादी को किया है और ना ही किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को किया है और ना ही विक्रय के कोई अधिकार दिये है। इसके बावजूद प्रतिवादी अपनी संख्या बल के आधार पर वादिया जो गरीब व किसान तबके से है जोर जबरदस्ती उसकी भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण करना चाहते है ताकि वादिया अपने परिवार सहित वहां से विस्थापित हो जबकि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है कि वह वादिया की कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा या उपयोग-उपभोग में बाधा पहुंचाये। इसलिये माननीय न्यायालय से सविनय निवेदन है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।
5. यह कि प्रतिवादीगण दिनांक 25.10.2018 को सुबह 11 बजे अपने 15-20 गुण्डे बदमाश साथियों को लेकर वादिया के खसरा नंबर वादग्रस्त भूमि पर आये और आकर वादिया की बाउण्ड्रीवाल को तोड़ने लग गये और धमकी देने लगे कि हम तुम्हें मौके से हटाकर भूमि पर कब्जा कर लेंगे तथा तुम यहां से खाली करके चले जाओ। वादिया भूमि की एकमात्र मालिक स्वामी काबिज है तथा उसने मौके पर बाउण्ड्रीवाल लगाकर पुख्ता निर्माण कर रखा है। इसके बावजूद प्रतिवादीगण जो भूमाफिया है, वादिया को हैरान परेशान करने की नियत से इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं ताकि वादिया परेशान होकर वादग्रस्त भूमि को छोड़कर अन्यत्र चली जाये जिससे प्रतिवादीगण सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय



काबिज होकर बेजा लाभ प्राप्त कर सकें। प्रतिवादीगण आकर वादिया की पुत्री व पुत्रवधू से छेड़छाड़ की व जातिसूचक शब्दों से संबोधित कर अपमानित किया तथा अनुसूचित जनजाति की भूमि पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करने की गैरकानूनी कोशिश की। इसमें आप पास के लोगों के आने से तथा वादिया द्वारा पुलिस थाने में फोन करने से पुलिस आ गई जो मौके से सभी प्रतिवादियों को लेकर थाने पर चली गई। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण वादिया को धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे तथा तुम्हारी भूमि पर कब्जा करके रहेंगे तथा तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी।

6. यह कि प्रतिवादीगण लगातार अपने बाहुवल व गुण्डे बदमाश साथियों के सहयोग से वादिया व उसके परिवार को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा वे लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं। परन्तु आस-पास के व्यक्तियों तथा पुलिस के कारण अभी तक तो प्रतिवादीगण अपने उक्त कुच्छित उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हुए हैं, परन्तु वादिया और अधिक समय तक प्रतिवादीगण को रोक पाने में असमर्थ है। इसलिये माननीय न्यायालय से सविनय निवेदन है कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादिया के वादग्रस्त खसरा नंबर पर ना तो स्वयं कब्जा करें व ना ही उसके उपयोग उपभोग कब्जे में बाधा पहुंचाये।
7. यह कि प्रतिवादीगण जोर जबरदस्ती के आधार पर वादिया की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि माननीय न्यायालय प्रतिवादीगण को इस आशय की आज्ञात्मक निषेधाज्ञा से भी पाबंद फरमाये कि वे इस दौरान किसी प्रकार का निर्माण कार्य वादिया की भूमि पर करते हैं तो उसे अपने खर्चे पर हटावें। वादिया वादग्रस्त भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिये उसे अधिकार है कि राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय उसके अधिकारों को संरक्षित करें तथा प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाये कि वे वादिया की भूमि पर ना तो आवें और ना ही उसके उपयोग-उपभोग में बाधा पहुंचावें।
8. यह कि वाद कारण दिनांक 25.10.2018 को तब उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से अपने 15-20 गुण्डे बदमाशा साथियों के साथ आये और आकर वादिया की भूमि की बाउण्ड्रीवाल को तोड़ने लगे। जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादिया का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम खोह नागोरियान, पटवार हल्का खोह नागोरियान, भू अभिलेख निरीक्षक लूनियावास, तह सांगानेर जिला जयपुर पर स्थित है, जिसके खाता सं. नया 545 व पुराना 494, नया 546 व पुराना 594 सम्वत् 2071 से 2074 में खसरा नं. 174 रकबा 0.36 हैक्टे0 व खसरा नं0 1742 रकबा 0.78 हैक्टे0 इस प्रकार कुल खसरा 2 का कुल रकबा 1.14 हैक्टेयर पर स्थित है, प्रतिवादीगण भूमि के उपयोग

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

नहीं करें व वादिया को उक्त मकान से जबरदस्ती बेदखल नहीं करें तथा वादिया को उक्त मकान से जबरदस्ती बेदखल नहीं करें तथा वादिया के उक्त खसरा नंबर की भूमि पर ना तो स्वयं ना अपने एजेंट, सर्वेंट, नौकर, कर्मचारी से निर्माण कार्य करावें ना ही स्वयं करें। वादिया का वाद इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से डिक्री फरमाया जावे कि वादिया की खातेदारी की कृषि भूमि का किसी दीगर व्यक्ति, अनजान क्रेता, संस्था को किसी विशिष्ट भू भाग न संभलावे, न विक्रय हस्तान्तरित करें तथा इसमें किसी प्रकार का निर्माण जबरदस्ती कर लिया हो तो उसे प्रतिवादीगण अपने खर्चे से हटावे तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तामील हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की ओर से जवाब वादपत्र पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का वास्तविकता में कोई हक हिस्सा कब्जा काशत नहीं है क्योंकि सन् 2000 के पूर्व ही वादी के बुर्जुगान ने आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि जे0डी0ए0 में समर्पित कर आवासीय हेतु समर्पित कर दी थी। जे0डी0ए0 से दिनांक 07.02.2002 को 90 बी की कार्यवाही कर ली गई है जिसके पश्चात् वादीया का हक हिस्सा हकूक कब्जा काशत किसी भी दृष्टि से नहीं माना जा सकता। वाद खारिज योग्य है। उत्तरदातागण पर गुण्डे व बदमाश होने का आरोप गलत लगाया गया है कि उत्तरदातागण ने लाखों रूपया देकर 90बी की कार्यवाही होने के बाद जे0डी0ए0 से पट्टा जारी होने के बाद नियमानुसार विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाकर आवासीय भूखण्ड खरीद किये हैं। वादीया का कही पर भी कब्जा मकानात नहीं है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है ही नहीं, वादीया के बुर्जुगो ने ही जे0डी0ए0 में सन् 2002 के पूर्व आवासीय प्रयोजनार्थ समर्पित कर अपने समस्त खातेदारी अधिकार को त्याग दिये थे तो वादिया को किस प्रकार से किस प्रावधान से अधिकार शेष रह जाते हैं। वादिया स्वयं साबित करें। वादीया स्वयं ही आवासीय मकान बनाकर रहना कहती है तो कृषि भूमि कैसे मानी जा सकती है। उत्तरदातागण बोनाफाईड आवासीय भूखण्डों के खरीददार उपभोक्ता मालिक है। जिनके विरुद्ध बिना कारण किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। 90 की के बाद राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी वाद सुनने का अधिकार नहीं रह जाता है। दिनांक 25.10.2018 को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ, वादिया का यह कहना कि उसकी बाउण्ड्रीवाल तोडने पर वादकारण उत्पन्न हुआ, निवेदन है कि कौनसे प्लाट, भूखण्ड संख्या की बाउण्ड्रीवाल है जिसके लिये तोडने का आरोप मिन प्रतिवादीगण पर लगा रही है कही पर तहरीर नहीं है। वाद वेग, झूठा, अस्पष्ट होने से समरली खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 172, 174 वाकै ग्राम खो नागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर अन्य भूमियों के साथ आवासीय प्रयोजनार्थ 90 बी की कार्यवाही हेतु खातेदारान (वादिया के बुर्जुगान सहित)



सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय



समर्पित कर देने से 07.02.2002 को 90 बी की कार्यवाही जे0डी0ए0 द्वारा कर ली गई.
 तब से भूमि जे0डी0ए0 के आधिपत्य व कब्जे में है आवासीय भूमि हो चुकी है।
 जे0डी0ए0 ने शान्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर की योजना लक्ष्मी
 नगर ए, गोनेर रोड, स्कीम डवलप कर चुकी है समस्त पट्टे जारी होकर मकानात
 बनाकर लोग रह रहे हैं। आवासीय कालोनी के मुतालिक वाद श्रीमान के समक्ष
 श्रवणार्थ प्रतिबंधित है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद
 वादीया मय खर्चों विशेष खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब दावे हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब
 दावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब दावे का अवसर बंद किया गया। वाद में तनकीयात
 कायम की जाकर वास्ते साक्ष्यवादी नियत किया गया। वकील वादीया व वकील
 प्रतिवादीगण को साक्ष्य पेश करने हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी ना तो वकील
 वादीया द्वारा ना ही वकील प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश किये गये। साक्ष्य पेश नहीं
 करने पर वादीया व प्रतिवादीगण के साक्ष्य बंद कर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत
 की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस अन्तिम पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली
 का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। बहस पर बगौर मनन किया जाकर वादपत्र
 का मय जवाब व दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 2 ता 4
 की ओर से दस्तावेजात सुची के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आवेदन पत्र नियमन, नकल
 बिजली बिल, वादग्रस्त आराजीयात में जारी जे.डी.ऐ. का पट्टा, नकल विक्रय पत्र गीता
 देवी, नकल इकरारनामा, व उपायुक्त (जोन-10) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
 द्वारा अपने पत्र क्रमांक 07/डी-800 दिनांक 11.07.2007 तहसीलदार तहसील सांगानेर
 जिला जयपुर को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी में अधिगृहित भूमि का
 अमलदरामद करने बाबत् पत्र जिसमें वादग्रस्त आराजीयात के खसरा नंबर 172 व 174
 सम्मिलित है। उपरोक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात 90बी में
 कन्वर्ट हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि के आवासीय प्रयोजन में परिवर्तित होने से वादग्रस्त
 भूमि अब कृषि योग्य नहीं है। वादिया द्वारा केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर
 उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि वास्तविकता में उक्त वादग्रस्त आराजीयात
 90बी में कन्वर्ट होकर आबादी भूमि में विकसित हो चुकी है। वैसे भी वादीया ने अपने
 वाद को साबित करने हेतु राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अलावा ना तो अन्य दस्तावेजात
 ना ही साक्ष्य प्रस्तुत की है। ऐसे में वादिया अपने वाद को साबित करने में पूर्ण रूप से
 असफल रही है। अतः वादिया का वाद खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया
 जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

E.
 सहायक कलेक्टर
 नगर शहर द्वितीय



अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास श्री
विष्णु कुमार गोयल-1 (आर.ए.एस.)

सुजा देवी

बनाम

छुट्टनलाल वगै.

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञात्मक व्यादेश

अन्तर्गत धारा-53 व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर - दावा/2012/58

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादीया मिनजानिव
मुद्दई रूबरु प्रतिवादीगण मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात 90वीं में कन्वर्ट हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि के आवासीय प्रयोजन में परिवर्तित होने से वादग्रस्त भूमि अब कृषि योग्य नहीं है। वादिया द्वारा केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि वास्तविकता में उक्त वादग्रस्त आराजीयात 90वीं में कन्वर्ट होकर आबादी भूमि में विकसित हो चुकी है। वैसे भी वादीया ने अपने वाद को साबित करने हेतु राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अलावा ना तो अन्य दस्तावेजात ना ही साक्ष्य प्रस्तुत की है। ऐसे में वादिया अपने वाद को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रही है। अतः वादिया का वाद खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

निज मुबलिग बाबत खर्चा
इस मुकदमें में मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से
तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.01.2024 को जारी की गई।



दस्तखत

ओहदा सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुत्तफरिक		
मुत्तफरिक				मीजान	
	मीजान	00			

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

